नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बी0ओ0टी0 के आधार पर 34 पुलिस बूथ एवं ट्रैफिक अम्ब्रेला को निर्मित किये जाने की एवज में इन पर 15 वर्षो हेतु विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये दिनांक 15.10.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित निविदा की प्री–बिड मीटिंग दिनांक 07.10.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति का विवरण।

1. श्री मनीष उप्रेती मुख्य नगर लेखा परीक्षक नगर निगम देहरादून।
2. श्री विरेन्द्र रावत, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
3. श्री रमेश चौहान पी0आई0यू0 सैल नगर निगम देहरादून।
4. श्री सुमित ग्रोवर प्रभातम् एडवरटाईजिंग प्रा0 लि0।
5. श्री जय समल, मीडिया 24 X 7 नई दिल्ली।
6. श्री विजय फोर मीडिया 24 X 7 नई दिल्ली।
7. श्री मनहर शर्मा, मै0 मीडिया प्रोफेशनल।
8. श्री कुशाग्र, मै0 कैटलिस्ट।
9. श्री पारस मलिक जागरण इन्गेज।

प्री–बिड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

1. श्री विजय फोर मीडिया 24 X 7 श्री कुशाग्र मै0 कैटलिस्ट तथा श्री सुमित ग्रोवर द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा प्रपत्र में कही पर विज्ञापन शुल्क में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा कहीं पर 02 वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि अंकित है।
2. श्री विजय फोर मीडिया 24 X 7 तथा श्री कुशाग्र मै0 कैटलिस्ट, द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा प्रपत्र में योजना को पूर्ण करने हेतु कहीं पर 6 माह तथा कहीं पर 01 वर्ष अंकित है के सम्बन्ध में अपना कथन प्रस्तुत किया गया है।
3. श्री विजय फोर मीडिया 24 X 7 द्वारा बिन्दु संख्या 3 में विज्ञापन शुल्क का भुगतान पुलिस बूथ एवं अम्ब्रेला निर्माण के बाद किया जायेगा या फिर अनुबन्ध गठित करने के साथ किया जायेगा के सम्बन्ध में अपना कथन प्रस्तुत किया गया है।
4. श्री विजय फोर मीडिया 24 X 7 के प्रतिनिधि द्वारा अपने पत्र के बिन्दु संख्या–4 के सम्बन्ध में पूछा गया कि बूथ एवं अम्ब्रेला में सी0सी0टी0वी को कन्ट्रोल रूम से जोड़ने के सम्बन्ध में कथन प्रस्तुत किया गया है।
5. श्री विजय फोर ने अपने पत्र के बिन्दु संख्या–05 में बूथ एवं अम्ब्रेला पर लगने वाले बिजली के कनेक्शन का बिल किसके द्वारा भुगतान किया जायेगा का कथन प्रस्तुत किया गया है।
6. श्री विजय फोर ने अपने पत्र के बिन्दु संख्या–6 पुलिस बूथ निर्माण में प्रयोग होने वाली धातु के बारे में पूछा है।
7. श्री विजय फोर ने अपने पत्र के बिन्दु–7 में बूथ निर्माण में 09 इंच की दीवर बनाने के बारे में अपना कथन प्रस्तुत किया गया है।
8. श्री विजय फोर द्वारा बिन्दु संख्या–8 में ई0एम0डी0 के अतिरिक्त कन्शेशन एग्रीमेंन्ट साईन किये जाने से पूर्व अन्य कोई धनराशि निगम कोष में जमा कराने हेतु अपना कथन प्रस्तुत किया गया है।
9. मै0 विजय फोर मीडिया 24 X 7, श्री मनहर शर्मा मै0 मीडिया प्रोफेशनल तथा द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट–4 में कन्सोसियम की वित्तीय क्षमता लीड पार्टनर की अंकित की गयी है, के सम्बन्ध में अपना कथन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित बिन्दु।

1. आर0एफ0पी0 में त्रुटिवश कहीं पर विज्ञापन शुल्क में बढोत्तरी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की तथा कहीं पर प्रत्येक 02 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अंकित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विज्ञापन शुल्क की वृद्धि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की जायेगी।
2. आर0एफ0पी0 में बूथ एवं अम्ब्रेला निर्माण हेतु समय त्रुटिवश कहीं पर 06 माह अंकित है तथा कहीं पर 01 वर्ष अंकित है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि योजना के क्रियान्वयन/निर्माण हेतु 06 माह का समय समझा जाय।
3. विज्ञापन शुल्क का भुगतान अनुबन्ध गठन के समय किया जायेगा।
4. प्रत्येक बूथ एवं अम्ब्रेला में सी0सी0टी0वी0 लगाया जायेगा परन्तु उसको कन्ट्रोल रूम से जोड़ने की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।
5. बिजली के कनैक्शन सम्बन्धी समस्त बिलों का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
6. आर0एफ0पी0 के अनुसार।
7. आर0एफ0पी0 के अनुसार।
8. ई0एम0डी0 के अतिरिक्त प्रोजेक्ट कॉस्ट की 05 प्रतिशत धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी अनिवार्य है।
9. कन्सोसियम में वित्तीय क्षमता आर0एफ0पी0 में अंकित लीड पार्टनर के स्थान पर कन्सोसियम की वित्तीय क्षमता के अनुसार ऑडिट बैलेन्स सीट तथा एनवल रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।

नगर आयुक्त